


छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन-नया रायपुर
// आदेश //



रायपुर, दिनांक 01 / 04 / 2013

क्रमांक एफ 6-2/2013/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा फीस विनियामक समिति की अनुशंसा अनुसार निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित बी0एड0 एवं एम0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निम्नानुसार अंतिम फीस का निर्धारण किया जाता है। यह फीस छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के छात्रों के लिए एक समान लागू रहेगी :-

2012-13 2013-2014 एवं 2014-15 के लिए 30 महाविद्यालयों में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु अंतिम निर्धारण शुल्क

स0क0	महाविद्यालय का नाम	निर्धारित शुल्क
1.	के.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एवं टेक्नालॉजी	29,000 / -
2.	दिशा कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज	29,000 / -
3.	दिशा कालेज	29,000 / -
4.	जयहिन्द कालेज	29,000 / -
5.	सेन्ट्रल कालेज ऑफ एजुकेशन	29,000 / -
6.	सीआईटी बी0एड0 कॉलेज	29,000 / -
7.	रूंगटा इंस्ट. ऑफ साइंस एण्ड टेक्नो.	29,000 / -
8.	पं. मदन मोहन मालवीय कालेज ऑफ एजुकेशन	29,000 / -
9.	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टी.ऑफ प्रोफेसर स्टडीज कुम्हारी	29,000 / -
10.	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टी. ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज पचेड़ा	29,000 / -

11	कमला कान्त शुक्ला इंस्टीट्यूट	29,000 / -
12	शैलदेवी महाविद्यालय	29,000 / -
13	कमला नेहरू महाविद्यालय	29,000 / -
14	साम्भवी कालेज ऑफ एजुकेशन	29,000 / -
15	स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ एजुकेशन	29,000 / -
16	एस.एस. कालेज ऑफ एजुकेशन	28,500 / -
17	मां शिक्षा महाविद्यालय	28,500 / -
18	श्री संदीपनी शिक्षा महाविद्यालय राहौद	28,500 / -
19	समाधान कालेज	28,500 / -
20	श्री कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय	28,500 / -
21	श्री राम कालेज	28,500 / -
22	वीरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय	28,500 / -
23	सोमनी महाविद्यालय	28,500 / -
24	जानकी कालेज, ऑफ एजुकेशन	28,500 / -
25	भिलाई स्कूल ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च चंदखुरी	28,500 / -
26	डी.ए.व्ही. मॉडल कालेज	28,500 / -
27	हसदेव एजुकेशन कालेज	28,500 / -
28	बी.एम. कालेज ऑफ एजुकेशन	28,500 / -
29	पार्वती इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च मेनेजमेन्ट	28,500 / -
30	भिलाई कालेज ऑफ आई.टी. जामुल, भिलाई	27,700 / -


2012-13 2013-14 एवं 2014-15 के लिए एम0 एड0

पाठ्यक्रम हेतु निर्धारण शुल्क

स0क0	महाविद्यालय का नाम	निर्धारित शुल्क
1.	सी.एम.डी पी.जी. कालेज	47,000 /-

- 1/ रूपये 1500/- प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशन मनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकती है, जो वापिसी योग्य है।
- 2/ समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना कॅपिटेशन फीस कहलायेगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 3/ यह फीस सत्र 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के प्रवेशित छात्रों के लिए है एवं यही फीस पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए लागू रहेगी।
- 4/ सत्र 2012-13 में प्रवेशित छात्रों से यदि किसी संस्था ने निर्धारित फीस से अधिक फीस ले ली हो तो उसे छात्र को वापिस किया जाये। रिफण्ड धनादेश बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही किया जाए।
- 5/ संस्था द्वारा ट्रान्सपोर्ट शुल्क, छात्रावास शुल्क, एवं मेस शुल्क "न लाभ न हानि" (NO PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता से लिया जाना है।
- 6/ विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क क्रमशः विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया है वही लिया जाना है।
- 7/ निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


30/3/13

(एम.एन. राजूरकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0कमांक एफ 6-2/2013/20-तीन ~~रायपुर~~ रायपुर, दिनांक 01/04/2013
प्रतिलिपि:-

- (1) महामहिम राज्य पाल के सचिव, राजभवन, सचिवालय, रायपुर।
- (2) माननीय मुख्यमंत्री जी, के सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय रायपुर।
- (3) विशेष सहायक माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।

- (4) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- (5) मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छा0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- (6) सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- (7) सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- (8) संचालक, तकनीकी शिक्षा, संचालनालय, रायपुर। कृपया संबंधित रजिस्ट्रार एवं संबंधित शिक्षा महाविद्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- (9) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर।
- (10) आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर।
- (11) समस्त संबंधित रजिस्ट्रार,
- (13) समस्त संबंधित शिक्षा महाविद्यालय,
- (14) जन संपर्क, अधिकारी, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर।
- (15) गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

[Signature] 30/3/13

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

[Signature]